

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या पी0पी0एम0-41/2012
प्रेषक,

2901

/कृ0, पटना दिनांक 30/6/2016

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप

से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग।

विषय - कृषि रोड मैप अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अंगीभूत महाविद्यालयों में कृषि, उद्यान, गव्य प्रौद्योगिकी एवं पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाईपेंड के भुगतान के लिए वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जनजाति के लिए 0.60 लाख रुपये (साठ हजार रुपये) सहायक अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 4495 दिनांक: 29.08.2012 तथा कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 2990 दिनांक: 12.06.2013 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अंगीभूत महाविद्यालयों में कृषि, उद्यान, गव्य प्रौद्योगिकी एवं पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाईपेंड के भुगतान के लिए वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जनजाति के लिए 0.60 लाख रुपये (साठ हजार रुपये) सहायक अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 4495 दिनांक: 29.08.2012 तथा कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 2990 दिनांक: 12.06.2013 द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

3. उक्त योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 0.60 लाख रुपये (साठ हजार रुपये) का व्यय बजट मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या - 1, उप शीर्ष 0104- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर विपत्र कोड P2415017960104 राज्य योजना में वर्ष 2016-17 हेतु कुल उपबंधित 500.00 लाख रुपये में से विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में उपबंधित राशि 46.00 लाख रु० में से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि 0.60 लाख रुपये (साठ हजार रुपये) की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उक्त स्वीकृत राशि उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जायेगी। विमुक्त राशि के विरुद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है, इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।

5. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म-42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकक्षण का अधिकार होगा।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 17.08.2012 एवं दिनांक 04.06.2013 को स्वीकृति संचिका संख्या पी०पी०एम०-41/2012 के पृ०सं०- 17/टि. एवं 33/टि. पर प्राप्त है।

7. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी०पी०एम०-41/2012 के पृ०सं०- 20/टि. पर दिनांक- 23.06.2013 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ज्ञापांक- 2901
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
/क०, पटना दिनांक 30/6/2016

ज्ञापांक- 2901
प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
/क०, पटना दिनांक 30/6/2016

ज्ञापांक- 2901
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
/क०, पटना दिनांक 30/6/2016

ज्ञापांक- 2901

/कृ0, पटना दिनांक 30/6/2016

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना /उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/ कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।




ज्ञापांक- 2901

निदेशक प्रशासन, सह-अपर सचिव।

/कृ0, पटना दिनांक 30/6/2016

प्रतिलिपि:- कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/प्राचार्य, तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली/कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा/बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर/मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, सहरसा/भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णियां/उद्यान महाविद्यालय, नालंदा/वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमराँव/संजय गांधी डेयरी तकनीकी संस्थान, पटना/पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज/प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक प्रशासन, सह-अपर सचिव।